जिला सैक्टर योजना/आयोजनागत/टी0एस0पी0
संख्या–1109 /XV-2/1(15)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत एवं देहरादून,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 मई, 2010

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (टी0एस0पी0) हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30–03–2010 एवं निदेशक, डेयरी के पत्र संख्या–381–83/लेखा–प्रस्ताव आयो0टी.एस.पी./2009–10, दिनांक 5–05–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में डेयरी विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण हेतु (जिला योजना) मे अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ रू0 6.51 लाख (रू0 छः लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि निम्न जनपदवार एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	जनपद का नाम	धनराशि
1.	ऊधमसिंहनगर	3.06
2.	बागेश्वर	0.39
3.	पिथौरागढ़	1.08
4.	चम्पावत	0.89
5.	देहरादून	1.09
	योग–	**6.51**

1. उक्त जनपदवार निर्गत स्वीकृति को तत्काल सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी को स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशो का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तिय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
4. रू0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–91–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3–यह आदेश प्रमुख सचिव (वित्त) के आदेश संख्या–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30–3– 2010 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 1109 /XV-2/1(15)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2 मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु ।
5 निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6 निदेशक, डेयरी विकास विभाग, मंगलपडाव, हल्द्वानी (नैनीताल)
7 समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
9. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।